

Sub Registry Office, Danapur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 2068

RTPS No.:-
030118283002402068

यूके श्री MUKESH KUMAR SINGH ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अक्मारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एवंदारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अक्मारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2011 से ता० 22/04/2024 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अक्मारों का पता चला है-

कार्यालय	अंचल	मौजा/वाड़ नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	वर्ष
DANAPUR	DANAPUR	DHANAUT	64	289	17.33	0				
		20			DECIMAL					

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अक्मारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अक्मार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-
नाम - Manoj Kumar

DOP

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम Md. Juubair Alam
Cleark

कार्यालय -

Sub Registry
Office, Danapur

तारीख -

22/04/2024



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
22/04/24

टिप्पणी

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अक्मार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अक्मारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर यदि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु यूके वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. ✓ और यूके वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अक्मारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- .2068 दिनांक:- 22/04/2024

शाखा प्रबंधक CANARA BANK के पत्र दिनांक 22/04/2024

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

22/04/24